

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015—वैशाख 25, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, “मेट्रो प्लाज़ा”, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मई 2015

क्र. 813-म.प्र.वि.नि.आ.-2015.— विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 181 की उपधारा (2) खण्ड (जेड पी.) के साथ पठित धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत्

नियामक आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत् का सह-उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

(ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत् का सह-उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम)
विनियम, 2010 में चतुर्थ संशोधन [एआरजी-33(I)(iv), वर्ष 2015]

उपरोक्त विनियम में विद्यमान विनियम, 4.1 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

अनुक्रमांक (1)	वित्तीय वर्ष (2)	ऊर्जा का विद्युत् सह-उत्पादन तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत		
		सौर ऊर्जा (प्रतिशत) (3)	गैर सौर ऊर्जा (प्रतिशत) (4)	कुल (प्रतिशत) (5)
1.	2010-11	—	0.80	0.80
2.	2011-12	0.40	2.10	2.50
3.	2012-13	0.60	3.40	4.00
4.	2013-14	0.80	4.70	5.50
5.	2014-15	1.00	6.00	7.00
6.	2015-16	1.00	6.00	7.00

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal, the 8th May 2015

No. 813-MPERC-2015.—In exercise of the powers conferred by clause (zp) of sub-section (2) of Section 181 read with clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010, namely:—

Fourth amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010 [ARG-33(I)(iv) of 2015]

In the said Regulations, for the existing Regulation 4.1, the following Regulation shall be substituted, namely:—

S. No.	Financial Year (1)	Cogeneration and other Renewable Sources of Energy		
		Solar (%) (3)	Non Solar (%) (4)	Total (%) (5)
1.	2010-11	—	0.80	0.80
2.	2011-12	0.40	2.10	2.50
3.	2012-13	0.60	3.40	4.00
4.	2013-14	0.80	4.70	5.50
5.	2014-15	1.00	6.00	7.00
6.	2015-16	1.00	6.00	7.00

By order of the Commission,
SHAILENDRA SAXENA, Commission Secy.